कोयला घोटाले में अटैच संपत्ति पर हाई कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई संपत्तियों की कुर्की को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित किया है।

मामले में ईडी ने 30 जनवरी 2025 को पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत करीब 49.73 करोड़ रुपये मूल्य की 100 से अधिक चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की थीं। इनमें बैंक बैलेंस, नकदी, वाहन, आभूषण और भूमि आदि शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में सूर्यकांत तिवारी, उनके भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाशा तिवारी और दिव्या तिवारी, पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया, उनके भाई अनुराग चौरसिया, मां शांति देवी और पूर्व आइएएस समीर विश्नोई से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं।संपत्ति कुर्की के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इन याचिकाओं में केजेएसएल कोल पावर और इंद्रमणि मिनरल्स की ओर से भी अपील दाखिल की गई थी। कुल 10 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा, निखिल वार्ष्णेय, शशांक मिश्रा, अभ्युदय त्रिपाठी सहित अन्य ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सौरभ कुमार पांडे ने तर्क प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अब इस पर विचार कर जल्द निर्णय सुनाया जाएगा। अब पूरे राज्य की निगाहें हाई कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं, जिससे कोयला घोटाले की दिशा और आगे की कार्रवाई तय होगी।

सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाले की मांगी जांच रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर:

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के चार जिले सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर समेत जांजगीर-चांपा जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट खरीदी में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पेश हुए और जानकारी दी कि इस प्रकरण की जांच के लिए 6 अगस्त 2024 को विधानसभा सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि समिति की विस्तृत रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और इसे शपथपत्र के साथ अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस तर्क को मानते हुए राज्य शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया और अगली सुनवाई की तिथि सितंबर माह के लिए नियत कर दी। गौरतलब है कि इस घोटाले की जानकारी समाचार माध्यमों के जरिए सामने आई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की थी। याचिका में यह उजागर हुआ कि बस्तर क्षेत्र के 181 गांवों में सोलर लाइटें नहीं लगाई गईं।

बिलासपुर हाई कोर्ट । ● फाइल फोटो